लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स मॉ वैष्णवी इंटरप्राईजेज, निदेशकः श्री शशिभूषण शर्मा, पिताः श्री उमेश शर्मा, पताः मेन रोड, पालीगंज, जिला–पटना द्वारा अरवल पुनपुन नदी कलस्टर संख्याः 01, ग्राम–किंजर एवं मिर्जापुर, अंचल–करपी, जिला–अरवल अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 17.08.2023 को अपराह्न 02:05 बजे अंचल कार्यालय–करपी, जिला–अरवल के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/BR/MIN/426146/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार, अपर समाहर्ता, अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 17.08.2023 अपराह्न 02:05 बजे अंचल कार्यालय, करपी, जिला–अरवल में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अरवल पुनपुन नदी कलस्टर संख्याः 01, ग्राम–किंजर एवं मिर्जापुर, अंचल–करपी, जिला–अरवल के लेसी को मंच पर आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी या उनके प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष की अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मो० अमिर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव

किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया / सुझाव
1.	श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल	श्री कुमार द्वारा कहा गया कि वाहनों के सड़क पर संचालन के दौरान वाहनों के चक्कों पर मिट्टी / बालू / किचर लगा होता है, जिससे कि सड़क पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती हैं, अनुरोध है कि इस संबंध में विचार किया जाय। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बतलाया गया कि इस समस्या के निवारण हेतु वाहनों से घाट से सड़क तक जाने से पहले व्हील वासिंग फैसिलिटि प्रदान करेंगे। इस संबंध में विस्तृत विवरणी के साथ श्री राजेन्द्र कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
2.	श्री पिन्टु कुमार, ग्राम–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल	श्री कुमार द्वारा स्थानीय लोगो के रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बतलाया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरणी के साथ श्री पिन्टु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
3.	श्री आकाश कुमार, ग्राम–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल	श्री कुमार द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगो को रोजगार मिलने से अवैध खनन पर रोक लगेगी।

		इस संबंध में उपरोक्त सुझाव को परियोजना प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री राजीव रंजन कुमार, ग्राम–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल	श्री कुमार द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ही होना चाहिए। इस संबंध में उपरोक्त सुझाव को परियोजना प्रस्तावक के द्वारा स्वीकार किया गया।
5.	श्री बृजेश कुमार, ग्राम–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल	श्री कुमार द्वारा स्थानीय लोगो के रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बतलाया गया कि स्थानीय लोगो को ही योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरणी के साथ श्री बृजेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
6.	श्री पृथ्वी कुमार, ग्राम–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल	श्री कुमार द्वारा कहा गया कि खनन प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई समस्या नहीं है।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालूघाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

अपर समाहर्त्ता 7/9/23
अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स मॉ वैष्णवी इंटरप्राईजेज, निदेशकः श्री शीशभूषण शर्मा, पिताः श्री उमेश शर्मा, पताः मेन रोड, पालीगंज, जिला–पटना द्वारा अरवल पुनपुन नदी कलस्टर संख्याः 01, ग्राम–किंजर एवं मिर्जापुर, अंचल–करपी, जिला–अरवल का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 17.08.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, करपी, जिला–अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	ADM, Arwal. Sanjay Kumar	ADM. Arwal.	17/8/23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० प्र० प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना	17.8.23
3.	Navendu Singh	MDO, Arwal	17/08/23
4.	Sanjay Kumar	Circle officer, Karpi	17/8/23
5.	Amir Akhtar	Rion Enviro Pvt. Ltd Patna.	Amir Akhtar
6.	SANTOSH KUMAR	~~santosh kumar~~ villa mirzapur	santosh KUMA
7.	विमल कुमार	चमोरा	विमल कुमा
8.	बृजेश कुमार	मिर्जापुर	बृजेश कुमार
9.	पृथ्वी कुमार	मिर्जा पुर	पृथ्वी कुम

10.	अरविन्द कुमार	ग्राम मिर्जापुर	अरविन्द कुमार
11.	Dhananjay-kum	village-MIRZAPUR	Dhananjay-k
12.	Jaldu kumar	Kanarai chak	Jaldu kumar
13.	मोहन सिंह	मिर्जापुर	मोहन सिंह
14.	Ram kumar	Khaira Bazar	Ram kumar
15.	Bhola kumar	Khaira Bazar	Bhola kumar
16.	शैलेश पासवान	किउर	शैलेश पासवान
17.	मुन्ना कुमार	बिजर चौंरी	मुन्ना कुमार
18.	प्रकाशचंद्र प्रसाद	मनौआरा किउर	प्रकाशचंद्र प्रसाद
19.	रंजित कुमार	चनौरा किउर	रंजित कुमार
20.	चांदिव कुमार	मिर्जापुर	चांदिव कुमार

21.	अमन कुमार	पतौरा	अमन कुमार
22.	रवि कुमार	मिर्जापुर	रवि कुमार
23.	मुकेश कुमार	चनौरा	मुकेश कुमार
24.	धर्मेन्द्र कुमार	मिर्जापुर	धर्मेन्द्र [illegible]
25.	मुकेश कुमार	चनौरा	मुकेश कुमार
26.	ब्रजेश कुमार	चनौरा	ब्रजेश कुमार
27.	मनोज कुमार	[illegible]	मनोज कुमार
28.	अभिषेक कुमार	रेवरा	अभिषेक कुमार
29.	गौतम कुमार	रेवरा	Gaut
30.	कुन्नु कुमार	रेवरा	कुन्नु कुमार
31.	रविरंजन कुमार	किंजर	जयेन्द्र शर्मा

32.	बिजेन्द्र शर्मा	किंजर	बिजेन्द्र शर्मा
33.	पिंटू सिंह	किंजर	[illegible]
34.	राकेश चौधरी	किंजर	Rakesh Kumar
35.	संतोष कुमार	चनौरा	संतोष कुमार
36.	राजीव रंजन	रवैरा –	राजीव रंजन
37.	अकाश कुमार	किंजर	Akash Kr
38.	आशिष रूपण शर्मा	मखदुमा	आशिष रूपण शर्मा
39.	आदित्या राज	किंजर	Aditya Raj
40.	छोटे कुमार	किंजर	Chote Kr.
41.	Raghwendra kum	Mirzapur	[illegible]
42.	बिजेन्द्र कुमार	किंजर	बिजेन्द्र कुमार

43.	राजनि कान्त अकेला	किन्नर	राजनिकान्त अकेला
44.	प्रशान्त कुमार	किन्नर	प्रशान्त कुमार
45.	[illegible]	Prime [illegible] [illegible]	[illegible] 17/8/23
46.	Deepak kumar	MS, Arwal	[illegible] 17/8/23
47.	Richa	MI, Arwal	[illegible] 17/8/23
48.			
49.			
50.			